न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः– अक्षत कुमार सिंह, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
265/2024 प्रा0 पत्र	03.06.2024	06.11.2025

उनवान

1. श्री भागीरथ पिता स्व0 अमरचन्द नायक, नि0 अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थी

बनाम

1. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज0)

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता प्रार्थी श्री श्यामलाल गुर्जर, उपस्थित।

2–विपक्षी 02 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य एव खातेदारी अधिकारों की ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड भू.अ. निरीक्षक सुवाणा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खसरान संख्या 1166, 1170 रकबा 0.2529 हैक्टयर, भूमि प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। इस कृषि भूमिः आराजियात पर प्रार्थी निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसियों से मिन्नतें करके अपनी स्वयं की आराजियात तक पहुंचना पडता है। ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड भू.अ. निरीक्षक सुवाणा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 की सरहद में स्थित आराजी संख्या 749 रकबा 0.1770 हैक्टयर, आराजी संख्या 843 रकबा 0.7461 हैक्टयर, आराजी संख्या 1045 रकबा 1.96 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी संख्या 01 महकमा सिंचाई विभाग पूर्ण संस्था के पक्ष में दर्ज रेकार्ड है। वर्णित आराजियात की किस्म गै.मु.नहर से दर्ज अभिलेख है।

प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग अथवा वैकल्पिक मार्ग मौके पर मौजूद नही है इसलिए प्रार्थी की कृषि भूमि आराजी में पहुंच हेतु विपक्षी संख्या 01 के 'खसरान' की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे प्रार्थी वर्षो से आवागमन रहा है। मौके पर रास्ता चालू अवस्था में होकर प्रार्थी अपने खेत पर काश्त के प्रयोजन से कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की आराजियात का उपयोग करता चला आ रहा है। परन्तु अब अप्रार्थी द्वारा मार्ग के उपयोग में रूकावट / बाधा उत्पन्न कर दिये जाने से प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि पर पहुंच पाना कठिन हो गया है। प्रार्थी का सम्पूर्ण रूप से कृषि कार्य बाधित हो गया है। जिससे प्रार्थी को आर्थिक / मानसिक रूप से क्षति हुई है। प्रार्थी की कृषि भूमि आराजी में पहॅुच हेतु अप्रार्थी संख्या 01 खसरान की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे पहले से चालू अवस्था में रास्तें से प्रार्थी वर्षो से आवागमन रहा है। इसी मार्ग का उपयोग प्रार्थी शुरूआत से ही करता चला आ रहा है। इसी मार्ग का उपयोग प्रार्थी द्वारा अपने खेत पर आवागमन के साथ कृषि उपकरण, खादबीज, सिंचाई संयत्र आदि लाने ले जाने के प्रयोजन से लिया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा यदि इसी प्रकार से मार्ग में रूकावट उत्पन्न की जाती है, तो प्रार्थी को कृषि कार्य से महरूम रहना पडेगा। जबकि कृषि कार्य ही प्रार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 749 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, आराजी संख्या 843 रकबा 0.7461 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1045 रकबा 1.96 हैक्टेयर दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे प्रार्थी के पहूँच खसरान संख्या 1166 तक 20 फीट चौड़ाई का नवीन रास्ता राजस्व नक्शे में दर्शित अनुसार कायमी के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये विपक्षी संख्या 02 तहसीलदार भीलवाडा द्वारा अपने पत्र कमांक 463 दिनांक 01.09.2025 से जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम अगरपुरा की आराजी नम्बर 1166, 1170 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि उसके खातेदारों हक से दर्ज है। जिस पर आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध नहीं है और वादी ने ग्राम अगरपुरा के ही अन्य आराजी नम्बर 749 व 843 की दक्षिणा मेर से होकर मार्गाधिकार हेतु आवेदन किया है। वर्तमान में ग्राम अगरपुरा की आराजी नम्बर 1166 व 1170 कुल किता–02 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि जमाबन्दी खाता स. 664 के अनुसार सोलर प्लान्ट प्रयोजनार्थ दर्ज रेकार्ड है। अतः वाद पोषणीय नहीं है।

प्रकरण में पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए इस प्रकार है अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाई बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना जहाँ कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिये किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहूँचने के लिये अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग़ को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिये सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (24) आर0टी0ए0 1955 में "कृषि" शब्द को परिभाषित किया गया है इसके अनुसार कृषि में उद्यान कार्य, पशुपालन, दुग्धशाला और कुकुट पालन व वन विभाग सम्मिलित है। चूंकि प्रार्थी द्वारा आवेदित ग्राम अगरपुरा की आराजी संख्या 1166 व 1170 की किस्म **सोलर प्लांट प्रयोजनार्थ** है, जो अकृषि भूमि की श्रेणी में आती है। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की वर्तमान ग्राम अगरपुरा की आराजी नम्बर 1166 व 1170 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि जमाबन्दी खाता संख्या 664 के अनुसार सोलर प्लान्ट प्रयोजनार्थ दर्ज रेकार्ड होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

अतः ग्राम अगरपुरा, पटवार हल्का हलेड, भू.अ. निरीक्षक सुवाणा, तहसील भीलवाडा, जिला भीलवाडा की खसरा संख्या 1166, 1170 रकबा 0.2529 हैक्टयर की किस्म **सोलर प्लांट प्रयोजनार्थ** दर्ज होने तथा तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार वाद पोषणीय नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

अतः ग्राम अगरपुरा, पटवार हल्का हलेड, भू.अ. निरीक्षक सुवाणा, तहसील भीलवाडा, जिला भीलवाडा की खसरा संख्या 1166, 1170 रकबा 0.2529 हैक्टयर की किस्म **सोलर प्लांट प्रयोजनार्थ** दर्ज होने तथा तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार वाद पोषणीय नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06-11-2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा